416

संख्या–44/XVI-2/14/7(6)/2013

प्रेषक,

डा0 रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई,
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांकः 24 मार्च,2014

विषयः–0309–सहकारी जडी–बूटी योजना में भेषज विकास इकाई की योजना के उपमानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹315 हजार की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने के पत्र संख्या–419/1224/लेखा/पुर्न0/2013–14 दिनांक 06 जनवरी, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत 0309–सहकारी जडी–बूटी योजना आयोजनेत्तर पक्ष के 16–व्यसायिक एवं विशेष सेवा व्यय के अन्तर्गत मानक मद 01–वेतन मद में उपलब्ध बचत को संलग्न बी0एम0–9 के अनुसार ₹315 हजार (₹तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र) का पुर्नविनियोग करते हुए निम्नांकित शर्तानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–284/X XVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च,2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(7) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत 119-बागवानी और सब्जियों की फसलें 0309-सहकारी जडी-बूटी योजना के उपमानक मदों के नामे डाला जायेगा तथा **संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-01** की बचतों से वहन किया जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-62(NP)/वित्त अनु0-4/2013, दिनांक 15 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-44(1)/XVI-2/14/7(6)/2013,तददिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2. जिला अधिकारी देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-4,उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मंगल सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।